

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 13/2018

अपीलांट्स-

1. रूपाराम पुत्र बागाराम
2. मलाराम पुत्र खेताराम
3. केसाराम पुत्र खेताराम
4. धापूदेवी पत्नि कानाराम
5. मोटाराम पुत्र कानाराम
6. खेमाराम पुत्र कानाराम
7. सुखाराम पुत्र कानाराम
जाति जाट निवासी होलोणी
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स -

1. पूनमाराम पुत्र पेमाराम
2. पदमाराम पुत्र पेमाराम
जाति जाट निवासी होलोणी
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार गिड़ा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध आदेश क्रमांक : राजस्व/2015/30 दिनांक 25.05.2015 जो
अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि को विभाजित
करने हेतु तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया।

राजस्व अपील सं. 19/2018

अपीलांट्स-


1. रूपाराम पुत्र बागाराम
2. मलाराम पुत्र खेताराम
3. केसाराम पुत्र खेताराम
4. धापूदेवी पत्नि कानाराम
5. मोटाराम पुत्र कानाराम
6. खेमाराम पुत्र कानाराम
7. सुखाराम पुत्र कानाराम
जाति जाट निवासी होलोणी
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स -

1. पूनमाराम पुत्र पेमाराम
2. पदमाराम पुत्र पेमाराम
जाति जाट निवासी होलोणी
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार गिड़ा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध आदेश क्रमांक : राजस्व/2015/29 दिनांक 25.05.2015
अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि को विभाजित
करने हेतु तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया।


अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उपस्थिति :-

1. श्री नरपतसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलाट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रेम प्रजापत रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोंडेंट संख्या 3 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 22.12.2020

1. अपीलाट्स की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलों में समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने से उन्हें एक संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे।
2. उपर्युक्त दोनों अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार गिडा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 के विरुद्ध पेश की गई हैं। प्रस्तुत अपीलों के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।
3. प्रस्तुत अपीलों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा होलोणी, श्रवणनाड़ी एवं लेगों की ढाणी के खसरा नंबर 163, 37, 161, 164, 171, 172, 174, 243/191, 162 व 229 के खातेदारान पदमा, पूनमा पि0 पेमा, मोटाराम, खेमाराम, सुखाराम पि0 कानाराम, मु0 धापूदेवी पत्नि कानाराम, मला, केसा पि0 खेता, रूपा पुत्र बागा कौम जाट साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2015 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 कैम्प खारापार में तहसीलदार गिडा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी चीबी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार गिडा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 29 व 30 दिनांक 25.05.2015 पारित किया गया। अपीलाट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेशों को अपास्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.03.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपीलें प्रस्तुत करने




अपर कलक्टर बाड़मेर Page 2 of 4
(ए.डी.एम.)

मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

4. अपीलांट्स की अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब किया। दौरान सुनवाई उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा दिनांक 07.08.2018 प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि माफिक राजीनामा उपर्युक्त दोनों अपीलें निस्तारित करने का समुचित आदेश प्रदान करावें। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गिड़ा द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 25.05.2015 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार अपीलाधीन आदेश के द्वारा खसरा संख्या 243/191 रकबा 201-09 बीघा मौजा होलाणी एवं खसरा नंबर 37 रकबा 03-19 बीघा मौजा श्रवणनाड़ी का विभाजन सही नहीं होने से उसे निरस्त फरमाया जावे। इस हेतु उभय पक्षकारान दोनों खसराओं के विभाजन को राजीखुशी निरस्त करवाना चाहते हैं और मौके पर कब्जा काश्त व बाहमी बंटवाड़े के अनुसार नये सिरे से विभाजन करवाना चाहते हैं। इस हेतु समुचित आदेश प्रदान करावें। उक्त दोनों खसरा के अतिरिक्त शेष समस्त खसरा के विभाजन हेतु पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 29 व 30 दिनांक 25.05.2015 को यथावत रखा जावे।



हमने अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा होलाणी, श्रवणनाड़ी एवं लेगों की ढाणी के खसरा नंबर 163, 37, 161, 164, 171, 172, 174, 243/191, 162 व 229 के खातेदारान पदमा, पूनमा पि0 पेमा, मोटाराम, खेमाराम, सुखाराम पि0 कानाराम, मु0 धापूदेवी पत्नि कानाराम, मला, केसा पि0 खेता, रूपा पुत्र बागा कौम जाट साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2015 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 कैम्प खारापार में तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर उक्त विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया

गया। अपीलांट्स द्वारा इस अपील में निवेदन किया कि वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व में किये गये बाहमी बंटवाडा अनुसार नहीं होने से नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौका कब्जा में भारी भिन्नता है जिसके कारण मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दौरान सुनवाई अपील अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट्स द्वारा दोनों अपीलों में संयुक्त राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत सम्पूर्ण खसरा को लेकर विवाद नहीं है बल्कि मौजा होलाणी के खसरा नंबर 243/191 एवं मौजा श्रवणनाड़ी के खसरा नंबर 37 का विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से इनका नये सिरे से विभाजन हेतु अपीलाधीन आदेश को इस सीमा तक अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे। प्रकरण में दोनों पक्षों की सहमति एवं न्याय हित में विवाद की स्थिति को समाप्त किये जाने हेतु माफिक राजीनामा अपीलों का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेंट तहसीलदार गिड़ा द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 25.05.2015 में मौजा होलाणी के खसरा नंबर 243/191 एवं मौजा श्रवणनाड़ी के खसरा नंबर 37 का विभाजन निरस्त किया जाता है तथा शेष खसरा का विभाजन यथावत रखा जाता है। प्रकरण तहसीलदार गिड़ा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उपर्युक्त दोनों खसरों में मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)